



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 489] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 4, 1991/भाद्र 13, 1913

No. 489] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 4, 1991/BHADRA 13, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1991

का.आ. 568 (अ) :- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड
(ii) तारीख 25 जुलाई, 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक

विकास विभाग) की अधिसूचना सं.का.आ.477 (अ), तारीख 25 जुलाई, 1991 में :-

1. प्रारम्भिक पैरा की पांचवीं पंक्ति में, "25 सितम्बर, 1989" के स्थान "26 सितम्बर, 1989" पढ़ें ।
2. पैरा 1 में, "औद्योगिक एककों" के स्थान पर "औद्योगिक" पढ़ें ।
3. पैरा 2 में,-
 - (i) "नीचे क और ख" को "नीचे अ और आ" पढ़ें ।
 - (ii) उप-पैरा "क (ii)" और "(2)" को उपपैरा "अ (i)" और "(ii)" पढ़ें ।
 - (iii) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उपपैरा अ (ii) में,-
 - (क) पहली पंक्ति में, "आबादी वाले" शब्दों के पश्चात "नगरों की", शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ,
 - (ख) दूसरी पंक्ति के अन्त में, "निम्नलिखित को लागू नहीं होगी", शब्द जोड़े जाएंगे ।
 - (iv) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित पैरा 2 (अ.) (ii) के पश्चात आने वाली मद (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - (क) इलेक्ट्रॉनिकी कम्प्यूटर प्रक्रिया सामग्री और मुद्रण उद्योग तथा अन्य गैर-प्रदूषणकारी उद्योग, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं;
 - (ख) अन्य उद्योग, परन्तु यह तब जब कि वे 24 जुलाई, 1991 से पहले राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा अभिहित, औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर अवस्थित हों । " ;
 - (v) उपपैरा "ख" को उपपैरा "आ" पढ़ें ;
4. अनुसूची 1 में, "सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किए जाने वाले उद्योगों की प्रस्तावित सूची शीर्षक" के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :- "पब्लिक सेक्टर के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची"

[सं. 10 (43)/91-एल.पी.]

एल. मारनसिंह, संयुक्त सचिव